



2026:AHC:15112

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44336 /2025

अर्पित शाक्य,

..... ..आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: अजय कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक अर्पित शाक्य की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 0313/2025, धारा 109(1), 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह दिनांक 28.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह पुलिस पार्टी फायरिंग का मामला है जिसमें कोई चोट नहीं आई है। अभियुक्त के विरुद्ध 14 आपराधिक मुकदमे हैं, जिनका समुचित स्पष्टीकरण दिया जा चुका है तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया है, जो प्रभाकर तिवारी, बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648 तथा अभिमन्यु आदि बनाम केरल राज्य 2025 आईएनएससी 1136 में पारित हुए हैं, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया।

उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता तथा समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण को देखते हुए, तथापि वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत हेतु एक प्रकरण बनता है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदक, अर्पित शाक्य, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, न्यायालय संबंधित की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा/धमकाएगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्रदान की जाए।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने हेतु कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

रविप्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।